पत्रांक—11 / न०वि० अग्निशमन—24 / 2019 752 न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः—

चैतन्य प्रसाद,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना / मुजफ्फरपुर / भागलपुर / नालन्दा / सारण / दरभंगा / गया / भोजपुर / बेगुसराय / कटिहार / मुंगेर एवं पूर्णियाँ।

नगर आयुक्त,
नगर निगम—पटना / मुजफ्फरपुर / भागलपुर / बिहारशरीफ / छपरा / दरभंगा / गया / आरा / बेगुसराय / कटिहार / मुंगेर एवं पूर्णियाँ।

जिला समादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं—
पटना / मुजफ्फरपुर / भागलपुर / बिहारशरीफ / छपरा / दरभंगा / गया / आरा / बेगुसराय / कटिहार / मुंगेर एवं पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक—18.06.2019

विषय :— बिहार भवन उपविधि, 2014 के अन्तर्गत राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में अवस्थित बहुमंजिले / विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) संबंधी मानकों के अनुपालन, उपकरणों के प्रतिष्ठापन एवं रख—रखाव तथा वर्षा जल संभरण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) को प्रभावी करने हेतु **विशेष अभियान** की समय अवधि विस्तार के सम्बन्ध में।

प्रसंग :— विभागीय पत्रांक—675, दिनांक—30.05.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत 15 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई वाले अथवा 500 वर्गमीटर से अधिक के आच्छादित जमीनी क्षेत्रफल वाले व्यवसायिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम, अस्पताल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अथवा ऐसे व्यवहार वाले मिश्रित उपयोग वाले भवनों / परिसरों में अग्नि सुरक्षा की जाँच एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग तथा राज्य अग्निशमन कार्यालय द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संयुक्त रुप से **विशेष अभियान** चलाने का निर्णय लिया गया था, जिसके प्रथम चरण के निरीक्षण की अन्तिम तिथि दिनांक—10.06.2019 निर्धारित थी तथा द्वितीय चरण के निरीक्षण की अवधि दिनांक—25.06.2019 से दिनांक—06.07.2019 तक निर्धारित है।

इस विशेष अभियान के अन्तर्गत महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, बिहार, पटना से प्राप्त सहमति के उपरान्त प्रथम चरण के निरीक्षण

की अवधि दिनांक–30.06.2019 तक तथा द्वितीय चरण के निरीक्षण की अवधि दिनांक–22.07.2019 तक विस्तारित की जाती है।

अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित तथा वर्षा जल संभरण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) सम्बन्धित प्रतिवेदनों, अनुशंसाओं एवं नोटिस का अनुपालन ससमय नहीं होने की दशा में सम्बन्धित नगर निगम द्वारा बिहार भवन उपविधि, 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

18/6/2019

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–11/न०वि०अग्निशमन–24/2019 752 न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक 18/06.2019

प्रतिलिपि–महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, बिहार, पटना Email Id : dghomeguard@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।